

GOVERNMENT OF INDIA,
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY,
SEEPZ-SEZ, ANDHERI (E),
MUMBAI - 400 096

No. SEEPZ-SEZ/EMS/RLR/2014-15/19564

31st July, 2018

CIRCULAR NO. 01 /2018

SUB: Revision of Lease Rent and levy of rent charges for use of ground space and terrace of building....

Attention to all the unit holders and Public Utilities are drawn towards the aforesaid subject. The SEEPZ-SEZ Authority has revised the lease rent of Rs.1350/- per sq. mtrs. p.a. to Rs.1600/- per sq. mtrs. p.a.

The SEEPZ-SEZ Authority has also decided to charge the rent on the area occupied by the unit holder as follows:-

- (i) Levy of rent charges for earthing pit is exempted.
- (ii) Levy Rs.1120/- per sq. mtrs. p.a. for the purpose of installation of Gen set, Chillar Plant, Air Conditioner at ground surface of land.
- (iii) Levy Rs.2350/- per sq. mtrs. P.a. for the purpose of installation of Air Conditioner Unit, Blower, etc. at terrace of buildings.
- (iv) Specific area may be earmarked for installation of such equipment consider the area required for solar panel.

This issues with the Approval of Chairman, SEEPZ-SEZ Authority.



(Mahesh Yadav)
Estate Manager/DDC,
SEEPZ-SEZ Authority

Copy to: All Units & Public Utility

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण,
सीपज़-सेज़, अंधेरी (पू.),
मुंबई - 400 096

सं. सीपज़-सेज़/ईएमएस/आरएलआर/2014-15/19564 दिनांक 31 जुलाई, 2018

परिपत्र संख्या 01 / 2018


विषय: भूमि स्थान तथा भवन के चबूतरे का उपयोग करने के लिए पट्टा किराया तथा किराया प्रभारों में संशोधन ।

सभी यूनिटधारकों तथा जनोपयोगी सेवाओं का ध्यान उपर्युक्त विषय की ओर आकर्षित किया जाता है। सीपज़ - सेज़ प्राधिकरण ने प्रति वर्ष 1350/- रू. प्रति स्क्वायर मीटर के पट्टा किराया को संशोधित करके प्रति वर्ष 1600/- रू. प्रति स्क्वायर मीटर कर दिया है।

सीपज़ - सेज़ प्राधिकरण ने यूनिटधारकों के अधिभोग में रखे गए क्षेत्र के किराए का निम्नानुसार प्रभार लेने का निर्णय लिया है:-

1. अर्थिंग पिट के लिए किराए प्रभार की वसूली में छूट दी गई है।
2. भूमि के सतह पर जेन सेट, चिलर प्लांट, एयर कंडिशनर के संस्थापन के लिए प्रति वर्ष 1120/- रू. प्रति स्क्वायर मीटर की लेवी।
3. भवन के चबूतरे पर एयर कंडिशनर यूनिट, ब्लोवर आदि के संस्थापन के लिए प्रति वर्ष 2350/- रू. प्रति स्क्वायर मीटर की लेवी।
4. ऐसे उपकरणों के संस्थापन के लिए विशिष्ट क्षेत्र चिह्नित किया जाए तथा सोलार पैनल के लिए आवश्यक क्षेत्र पर भी विचार किया जाए।

यह अध्यक्ष, सीपज़ - सेज़ प्राधिकरण के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



(महेश यादव)

संपदा प्रबंधक / उविआ,
सीपज़ - सेज़ प्राधिकरण

प्रति:- सभी यूनिट तथा जनोपयोगी सेवाएं